COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10 CANCELLED

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20 CANCELLED

255

समक्ष माननीय न्ययालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प जबलपुर

नि/3896-I-15

प्रकरण क्रमांक

566

आवेदकगण – 1– बेटी बाई पत्नी श्री बैजनाथ सिंह कौरव निवासी ग्राम सूखाखेड़ी तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर म.प्र.

2– आजाद सिंह कौरव आत्मज श्री गोपाल सिंह कौरव निवासी ग्राम झांझनखेड़ा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर म.प्र.

03 NOV 2015

विरूद्ध

अनावेदिका – लक्ष्मीबाई पत्नी मूलचंद ~~पैगवार~~ निवासी चीचली तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर म.प्र.

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

आवेदकगण माननीय न्यायालय के समक्ष अपर आयुक्त जबलपुर संभाग,ख जबलपुर के प्रकरण क्रं. 908अ/70–2012–13 में पारित आदेश दिनांक 3–10–2015 से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण याचिका निम्नांकित तथ्य एवं आधारों पर प्रस्तुत करते हैं :–

तथ्यः

1– प्रकरण के तथ्य इस प्रकर है कि आवेदक क्रं. 1 श्रीमति बेटी बाई के पति स्व. बैजनाथ सिंह आत्मज श्री श्रीधर सिंह कौरव ने ग्राम रातीकरार नं.बं. 403 तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर की भूमि खसरा नंबर 10 रकवा 12.00 एकड़ एवं 16/2 रकवा 0.050 एकड़ कुल रकवा 12.50 एकड़ में से रकवा 6.00 एकड़ तत्समय के भूमिस्वामी विक्रेता चेतराम आत्मज जगन्नाथ मेहरा निवासी ग्राम रातीकरार तहसील गाडरवारा से जरिये रजिस्ट्रीशुदा विकय पत्र दिनांक 10–6–1974 से कय कर कब्जा प्राप्त किया था । बैजनाथ के जीवनकाल तक वह उक्त भूमि पर काबिज होकर खेती करते रहे । उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी आवेदिका कं. 1 बेटीबाई काबिज हुई और उनकी ओर से आवेदक कं. दो आजाद सिंह खेती करने लगा ।

...2

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

———

प्रकरण कमांक – निग0 3896–एक/15 जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-12-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 908/अ–70/12–13 में पारित आदेश दिनांक 3–10–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो दिनांक 2–9–14 को अदम पैरवी में खारिज की गई । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा पुर्नस्थापन आवेदन पेश किया गया जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया है । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो निगरानी मेमो में उल्लिखित किये गये हैं, अपने तर्कों के समर्थन में आवेदक अधिवक्ता द्वारा कई न्याय उदाहरण भी प्रस्तुत किये गये हैं । 4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत की गई है जिसमें लेख किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुर्नस्थापन का आवेदन निरस्त किया गया है, जिसके विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है बल्कि आवेदक को इस न्यायालय के समक्ष अपील करना चाहिए थी । उनके द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	को तकनीकि आधार पर पोषणीय नहीं होना व्यक्त करते हुए निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है । 5/ जबाव में आवेदक अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टांत 1990 आर0एन0 308 का हवाला देते हुए कहा गया कि इस माननीय न्यायालय को अपील/निगरानी दोनों सुनने के अधिकार हैं अतः इस न्यायालय द्वारा न्यायहित में इस पुनरीक्षण याचिका में आदेश पारित किया जा सकता है । 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । जहां तक अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण की प्रचलनशीलता के संबंध में उठाई गई आपत्ति का प्रश्न है वह अपने स्थान पर उचित है परंतु आवेदक की ओर से उद्धरित न्यायदृष्टांत 1990 आर0एन0 308 में प्रतिपादित सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाना चाहिए । अनावेदक की आपत्ति निरस्त करते हुए प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में अपर आयुक्त ने आवेदक की ओर से प्रस्तुत पुर्नस्थापन आवेदन के साथ विलंब क्षमा करने के संबंध अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन संलग्न न किए जाने के कारण विलंब क्षमा नहीं करते हुए पुर्नस्थापना आवेदन निरस्त किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाना आवश्यक है । अतः प्रकरण की समग्र	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3896–एक/15 जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	परिस्थितियों पर विचार के पश्चात तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांत 1995 आर0एन0 411 जो माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत ए0आई0आर0 1987 एस0 सी0 1353 पर आधारित है, में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि परिसीमा अधिनियम, 1963 – धारा 5 विलंब माफी हेतु आवेदन – विलंब माफी पर जब विचार किया जा रहा हो, उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए के प्रकाश में आवेदक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत पुर्नस्थापन आवेदन स्वीकार कर मूल अपील प्रकरण का निराकरण करना न्यायोचित प्रतीत होता है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत मूल अपील कमांक 908/अ–7012–13 का निराकरण, उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणदोष पर करें । पक्षकार सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हो । सदस्य	